

RTI/Speed Post

अवर सचिव
UNDER SECRETARY



उप-राष्ट्रपति सचिवालय
VICE-PRESIDENT'S SECRETARIAT
नई दिल्ली/NEW DELHI - 110011
TEL.: 23016344/23016422 FAX: 23018124

फाइल संख्या वीपीएस-55/01-आरटीआई/21/2016-17

12 मई, 2016

श्री अरूण शर्मा
निदेशक/सीपीआईओ,
राज्य सभा सचिवालय,
संसदीय सौध, नई दिल्ली।

विषय :- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3) के अंतर्गत सूचना हेतु
महोदय,

श्री राजीव कुमार खरे, अधिवक्ता निवासी गली नं. 3, प्रेम विहार कालोनी सतना, मध्य प्रदेश-485001 का दिनांक 28 अप्रैल, 2016 का पत्र दिनांक 11 मई, 2016 को इस सचिवालय में प्राप्त हुआ है जिसके साथ इन्होंने पांच-पांच रुपये के दो पोस्टल आर्डर संख्या 76C 075069 व 67C 075068 संलग्न कर सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत पूर्व राज्य सभा सदस्य श्री विजय माल्या के संबंध में सूचना उपलब्ध कराने हेतु आवेदन किया है, चूंकि पत्र की विषय वस्तु आपके कार्यालय से संबंधित है। अतः इनका पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3) के अंतर्गत आपको हस्तांतरित किया जा रहा है। कृपया आवेदक को वांछित सूचना उपलब्ध कराने का कष्ट करें तथा अधोहस्ताक्षरी को भी सूचित करने का कष्ट करें।

यदि यह विषय-वस्तु आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं आती हो तो कृपया इसे विषय से संबंधित सूचना अधिकारी को हस्तांतरित करने का कष्ट करें जिसके यह निकट से संबंधित हो।

धन्यवाद,

भवदीय,

(महिताब सिंह)
केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी
mahitab.singh@nic.in

प्रतिलिपि:-

श्री राजीव कुमार खरे, अधिवक्ता निवासी गली नं. 3, प्रेम विहार कालोनी सतना, मध्य प्रदेश-485001 - कृपया अधिक जानकारी हेतु उपरोक्त केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी के कार्यालय से संपर्क करें।

(महिताब सिंह)
केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी
mahitab.singh@nic.in

O/C

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा (6)(1) के अन्तर्गत

- 01- आवेदक का नाम - राजीव कुमार खरे
 02- पूरा पता - राजीव कुमार खरे एडवोकेट गली नं०-3
 प्रेमबिहार कालोनी, प्रेमनगर सतना म०प्र०
 03- मोबाइल नं० - 9827590823
 04- आवेदन देने का दिनांक - 28/5/16
 05- कार्यालय का नाम - केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी उपराष्ट्रपति
 भवन सचिवालय, नई दिल्ली

06- चाही गयी जानकारी का विवरण -

राज्यसभा सदस्य डा. विजय मातंगा की सदस्यता
 संविधान के अनुच्छेद 101(3)(क) एवं 102(1) के अन्तर्गत
 समाप्त किये जाने हेतु पत्र दिनांक 10/3/16 को
 प्रेषित किया गया था जिस पर कोई निर्णय लिया गया
 यदि हां तो आदेश की प्रतिलिपि प्रदान की
 07- क्या चाहते है - प्रतिलिपि प्रदान की

- 08- आवेदन के साथ अदा किये जाने वाले प्रोसेस फीस - 10/-रु. का
 पोस्टल आर्डर/स्टाम्प नं०- 67C-75069-68
 09- क्या आवेदक गरीबी रेखा के नीचे है अथवा नहीं- नहीं

हस्ताक्षर

आवेदनकर्ता

राजीव कुमार खरे

पावती

- 01- आवेदन प्राप्त होने का दिनांक।
 02- आवेदनकर्ता को वांछित जानकारी प्राप्त करने के सम्बंध में अग्रिम कार्यवाही हेतु
 उपस्थित होने का दिनांक।
 03- सम्बंधित शाखा/अधिकारी जहां से जानकारी उपलब्ध होगी।

प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर

(लोक सूचना अधि./सहा. लो. सूचना अधि. द्वारा प्राधिकृत)

पद नाम (रबर सील)

"जीम, पीपल, बरगद के वृक्ष लगावें, पर्यावरण हरा भरा बनावें।"

Jeev Kumar Khare

(Advocate)

B.A., DBM, LLB, M.A.)



Resi. : Lane No. 3
Prem Vihar Colony, Prem Nagar
SATNA (M.P.) 485 001
Mob. : 09827590823
E-mail : rajivkharesatna@gmail.com

Ref. No. 1/16

Date 10/3/16

प्रति,
माननीय राष्ट्रपति जी
राष्ट्रपति भवन, (भारत)
नई दिल्ली

विषय: राज्यसभा सदस्य माल्या डा० विजय की सदस्यता समाप्त किये जाने का वक्त।

मान्यवर, निवेदन है कि डा. विजय माल्या राज्यसभा सदस्य हैं जिनका कार्यकाल 1-7-2010 से 30-6-2016 तक है इनको राज्यसभा सदस्य कर्नाटक राज्य से इन्डेपेंडेंट सदस्य के रूप में चुना गया था।

इनके ऊपर देश की विभिन्न बैंकों से कुछ हजार करोड़ रुपये कर्ज लेकर चुकता न करके सरकार की जानकारी के बिना अर्बेधानिक तरीके से देश छोड़कर भाग गये हैं।

यदि संविधान के अनुच्छेद 101(3) एवं 102(1) के प्रावधानों के अनुसार इनकी (डा. विजय माल्या) की राज्यसभा सदस्यता समाप्त किया जाना न्याय एवं संविधानिक प्रक्रिया के अनुसार होगा।

अतः निवेदन है कि डा. विजय माल्या की संसद सदस्यता समाप्त करने की कृपा करें।

प्रतिलिपि -

1. माननीय उपराष्ट्रपति एवं सभापति राज्यसभा
2. माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार

निवेदक
राजीव कुमार खारे
एडवोकेट एवं भारतीय भाषी
कार्यकर्ता